<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>13/08/2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम (पीएसआईईसी) के अधिकारियों द्वारा अपने रिश्तेदारों, मित्रों एवं अन्य सहयोगियों के नाम पर औद्योगिक भूखंडों के अवैध आवंटन से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 04.08.2026, 05.08.2026 एवं 06.08.2026 को चंडीगढ़, अमृतसर, गुरदासपुर एवं लुधियाना में 11 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया तथा पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम (पीएसआईईसी) के कार्यालय में सर्वेक्षण किया। तलाशी कार्यवाही के दौरान कई परिसरों से विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज एवं डिजिटल उपकरण बरामद एवं जब्त किए गए।

ईडी ने पुलिस स्टेशन विजिलेंस ब्यूरो द्वारा कई पीएसआईईसी अधिकारियों एवं अन्य निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित) तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि औद्योगिक भूखंड ऐसे व्यक्तियों को आवंटित किए गए थे, जिन्हें तकनीकी उद्योगों का कोई ज्ञान नहीं था। निजी व्यक्तियों द्वारा औद्योगिक भूखंडों के लिए आवेदन करते समय आवेदन पत्रों में फर्जी फर्मों एवं फर्जी पतों का उपयोग किया गया तथा पीएसआईईसी अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंधों के माध्यम से इन व्यक्तियों को औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए। भूखंडों का कब्जा भी निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया तथा इसमें कई वर्षों तक विलंब किया जाता रहा। इस मध्यवर्ती अवधि को शून्य अवधि माना जाता था और इस अवधि के लिए शून्य ब्याज दर पर भुगतान योजनाओं के तहत आवंटन की तिथियों को कई वर्षों तक आगे बढ़ाया जाता था।

जांच में पता चला है कि ये अवैध आवंटन भारी रिश्वत के बदले किए गए थे, जो अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नकद लेनदेन एवं धनराशि के विभिन्न स्तरों पर हस्तांतरण से संबंधित वित्तीय व्यवस्थाओं के माध्यम से प्राप्त की गई थी। कई आवंटन शेल संस्थाओं एवं काल्पनिक फर्मों के नाम पर किए गए थे, जिनका बाद में आवंटित भूखंडों को प्रचलित बाजार दरों पर तीसरे पक्ष के बाहरी व्यक्तियों को बेचने के लिए उपयोग किया गया, जिससे पर्याप्त धनराशि अर्जित हुई। इसके अलावा, यह भी पता चला कि उद्योगों की स्थापना के लिए आवंटित भूखंडों का विभाजन कर उन्हें आवासीय/वाणिज्यिक प्लॉटिंग के लिए उपयोग में लाया गया।

तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती साक्ष्य एकत्र किए गए तथा **12,15,000/- रुपये मूल्य की अघोषित नकदी** बरामद एवं जब्त की गई। इसके अतिरिक्त, पीएसआईईसी के अधिकारियों **सुरिंदर पाल सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबंधक** एवं **जसविंदर सिंह रंधावा, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक** के बैंक खातों में लगभग **4.01 करोड़ रुपये** की धनराशि को फ्रीज किया गया।

आगे की जाँच जारी है।